

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 07 जनपद)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 732 / वि०का० / 2012-13

लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर-2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किशत के सापेक्ष एस०सी०एस०पी० मद अनुदान सं०-83 से मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं०-380/26-ब०प्र०-4एसजीएसवाई/2012,टी.सी. दिनांक 21-09-2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 एस०सी०एस०पी० मद के अन्तर्गत हुई बजट व्यवस्था की धनराशि से विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि रू० 19.687 लाख (रू० उन्नीस लाख अड़सठ हजार सात सौ मात्र) जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू० 19.687 लाख (रू० उन्नीस लाख अड़सठ हजार सात सौ मात्र) संलग्न विवरण के कालम-3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। नवसृजित जनपदों को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि अलग से भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन जनपदों की धनराशि इनके पैतृक जनपदों को आवंटित की जा रही है। अतः यदि विलेज हाट हेतु निर्धारित स्थान नवसृजित जनपद में पड़ता है तो पैतृक जनपद द्वारा उस हाट की धनराशि नवसृजित जनपद को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।


4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर माँग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ०प्र० शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केंद्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के०75/रा०25-रा०)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम-4 में दर्शाया गया है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, समाज कल्याण विभाग, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन ग्राम्य विकास अनुभाग-6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाये।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0-194 पर कर ली गई है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
↓
(अनिल गर्ग) 
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 732 / वि0का0 / 2012-13 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0-380 / 26-ब0प्र0-4एसजीएसवाई / 2012 टी.सी., दिनांक 21-09-2012 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।


(यू0 एन0 उपाध्याय)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 732/वि०का०/2012-13


दिनांक : 10 अक्टूबर, 2012 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान सं०-83 एससीएसपी मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	FAIZABAD	2.812	36.652
2	GAZIABAD	2.812	7.852
3	GONDA	2.812	56.282
4	HARDOI	2.812	87.702
5	KANPUR NAGAR	2.813	2.813
6	MAHARAJGANJ	2.813	31.093
7	SONBHADRA	2.813	39.063
State Total ::		19.687	

(रू० उन्नीस लाख अड़सठ हजार सात सौ मात्र)


(यू०एन० उपाध्याय)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

60287/V.17/12 633/अ. 312 लेखा/12

28.9.12

01-10-12

संख्या-380/26-ब.प्र0-4एसजीएसवाई/2012टी.सी.

प्रेषक,

राघवेन्द्र विक्रम सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश
शिविर कार्यालय
प्राप्ति तिथि: 25/9/12
संख्या: 6293/PA/उ.प्र./12
निर्गमन तिथि: 26-9-12

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

लखनऊ: दिनांक 2 सितम्बर, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 से मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-653/एस.जी.एस.वाई.-वि.हा./ए.मा.से./2011-12 दिनांक 17 जुलाई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 में हुई बजट व्यवस्था से विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा जनपद-फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, हरदोई, कानपुर नगर, महाराजगंज एवं सोनभद्र को स्वीकृत किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि रू0-19.687 लाख (रूपये उन्नीस लाख अड़सठ हजार सात सौ मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार विलेज हाट योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि रू0-19.687 लाख (रूपये उन्नीस लाख अड़सठ हजार सात सौ मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार/विलेज हाट योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

383-10 (लेखा) /
उपयुक्त (SGSY)

25-09-12
(अनिल गंगी)

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

F8/A0/अ. 312
(अ. 312)

26-9-12

अ. 312
28-9-12

- (4) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और उससे विचलन न हो।
- (6) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-2011-231/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-1025/दस-2012 दिनांक-13 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(राघवेंद्र विक्रम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-380(1)/26-ब.प्र.-2012-तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, नवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र. द्वारा-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
8. राज्य योजना आयोग-1/2,
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एन0एच0 रिजवी)
उप सचिव।